न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

जिला रीवा (म0प्र0)

रामखेलावन द्विवेदी पिता बृजकिशोर द्विवेदी उम्र 71 वर्ष पेशा खेती

निवासी ग्राम ककरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

आर.एव.बेन्च III निगरानी/सतना/भू.रा/2018/0810

आज दि. 2-2-18 को प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-2-18 नियत।

............निगरानीकर्ता/अपीलार्थी

बनाम

रामबक्स उर्फ रामप्रसाद तिपा बृजकिशोर उम्र 69 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम ककरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

............रेस्पोडेन्ट

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील अमरपाटन जिला सतना के प्रकरण क्रमाक 91/अ–70/2016–17 आदेश दिनांक 05.01.2018

महोदय,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्न है :–

1. यह कि निगराकार अपने स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि खसरा क्रमांक 672/2क रकवा 0.032 हे0 का मालिक भूमि स्वामी है उक्त भूमि के सीमांकन में 2000 वर्ग कड़ी यानी 0.008 हे0 में निगराकार रामखेलावन द्विवेदी द्वारा गौशाला, शौचालय, चबूतरा बनाकर बेजा कब्जा कर लिया

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक II/निग/सतना/भू.रा./18/810, रामखेलावन/रामवमश्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
09/01/19	आवेदक की ओर से श्री आर. एस. सेंगर अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार अमरपाटन, सतना के प्रकरण क्रमांक 91/अ-70/16-17 में पारित आदेश दिनांक 05/05/18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22/4/19 को कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	